राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2367/2023

श्रीमती खुशबू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.09.2023
आदेश की दिनांक : 18.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप पंजीयक, अजमेर प्रथम, अजमेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी उक्त पद एवं स्थान पर बिना किसी शिकायत के संतोषजनक सेवाएं दे रही है और अपीलार्थी यूसीटीडी से पीडित है जो लाईलाज बीमारी है तथा असाध्य सिंड्रोम/बीमारी है, जिसके कारण अपीलार्थी के ह्रदय, लीवर, किडनी, त्वचा, फेफडो व आँखों को नुकसान पहुंचाता है और उक्त बीमारी से अपीलार्थी को माह जुलाई में फेफडों में इंफेक्शन हुआ, जिसका भी उपचार किया गया। उनका कथन है कि उक्त बीमारी का कोई स्थायी उपचार नहीं है। अपीलार्थी को Nuclears Speekled 1:80 है। अपीलार्थी का Auto Immune की रिपोर्ट पॉजिटिव है। उक्त बीमारी संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए जो अनुलग्नक–2

से 5 से प्रकट होता है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त बीमारियों पर विचार किए बिना किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के दो पुत्रियां हैं, जो अध्ययनरत हैं, जिनकी आयु 7 वर्ष एवं 18 माह है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और उसकी सास, जिनकी उम्र 72 वर्ष है और उनकी देखभाल हेतु परिवार में अन्य कोई महिला सदस्य नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर लगाए गए पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का किसी भी कार्मिक/अधिकारी को अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से स्थानान्तरण आदेश में न्यायालय का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप पंजीयक, अजमेर प्रथम, अजमेर किया गया है। जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले से अजमेर किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 से 5 तक के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कई गंभीर बीमारियों से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है चूंकि अपीलार्थी महिला कार्मिक/अधिकारी है और हमारे मत में ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 150 कि.मी. दूर किया जाना वर्तमान

परिस्थितियों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार मामले की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत थी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य